न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 240/2023

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. रहमत पुत्र जानीखां जाति मोयला कुम्हार निवासी पायला खुर्द तहसील सिणधरी		1. तहसीलदार सिणधरी 2. हनुमानराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी भलखाड़ी तहसील सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री जोगराज पोटलिया वकील प्रार्थीगण उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 22.08.2025

1. संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 351 रकबा 0.0971 हैक्टयर भूमि ग्राम पायला खुर्द पटवार मण्डल पायला खुर्द तहसील सिणधरी में अवस्थित है, जो मूल खसरा नम्बर है। जिसको प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्ट्री से खरीद किया गया, जिसके मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के खरीद के बाद अन्य बेचान से कायम खसरा संख्या 351/366 जो विप्रार्थी सं. 2 के पास है के राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद के दौरान कब्जा काश्त के विपरीत लटठा ट्रेस में कर दी गई, जबकि प्रार्थी का [illegible] है, इस प्रकार विपरीत तरमीम होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति [illegible] है [illegible]: विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम [illegible] करवानें हेतु य[illegible]दन पेश किया गया है।

2 प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। [illegible] संख्या 01 की ओर से [illegible] तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जाच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 19:04:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने आवेदन के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 351 रकबा 0.0971 हैक्टयर भूमि ग्राम पायला खुर्द पटवार मण्डल पायला खुर्द तहसील सिणधरी में अवस्थित है, जो मूल खसरा नम्बर है। जिसको प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्ट्री से खरीद किया गया, जिसके मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के खरीद के बाद अन्य बेचान से कायम खसरा संख्या 351/366 जो विप्रार्थी सं. 2 के पास है के राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद के दौरान कब्जा काश्त के विपरीत लटठा ट्रेस में कर दी गई, जबकि प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है, इस प्रकार विपरीत तरमीम होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत की जमाबंदी के साथ नक्शा प्रति नकल लेने पर पता चला कि मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत रिकॉर्ड में तरमीम कर दी गई है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया ग्राम पायला खुर्द पटवार मण्डल पायला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 351 रकबा 0.0971 हैक्टयर की भूमि प्रार्थी की खातेदारी में पृथक दर्ज है तथा तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है,जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट पत्रांक 1843 दिनांक 18.08.2024 से होता है,इस प्रकार प्रार्थी के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति भी हो रही है,जबकि प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी [illegible] प्रार्थी मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती करवाने के हकदार [illegible] ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 19:04:49 IST
Reason: SelfAttested

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पायला खुर्द पटवार मण्डल पायला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 351 व खसरा संख्या 351/366 की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट पत्रांक

Scanned with OKEN Scanner

1843 दिनांक 18.08.2025 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 22.08.2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 19:04:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner